कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

पत्रांकः केयू/आर0ओ0/2023–24/29.   दिनांक 21/04/2023

सेवा में,

1. मा0 कुलपति/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय/केन्द्रीय विश्वविद्यालय,
2. समस्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, समस्त राज्य

विषयः कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड) चयन हेतु विज्ञप्ति।

महोदय/महोदया,

कृपया विषयांकित संलग्न विज्ञप्ति का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो कि संयोजक, चयन समिति (कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय हेतु) द्वारा राज्यपाल सचिवालय, कैन्ट रोड, देहरादून के द्वारा कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड) के चयन हेतु राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई है।

मा0 संयोजक, चयन समिति (कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय) के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में मुझे अवगत कराने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विज्ञप्ति को अपने विश्वविद्यालय के शिक्षकगणों में प्रसारित एवं प्रचारित करवाने का कष्ट करें।

सादर,

भवदीय,

(दिनेश चन्द्रा)
कुलसचिव

संलग्न–यथोपरि।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मा0 संयोजक, चयन समिति (कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय) राज्यपाल सचिवालय, कैन्ट रोड, देहरादून।
2. प्रभारी, वैबसाईट, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल को उक्त विज्ञप्ति विश्वविद्यालय वैबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु।
3. निजी सचिव–कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

(दिनेश चन्द्रा)
कुलसचिव

विज्ञप्ति

(कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड) के चयन हेतु)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–12 (2) में उल्लिखित प्राविधानों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना दिनांक 18 जुलाई, 2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित कमेटी द्वारा संस्तुत पैनल में से कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के कुलपति पद वेतनमान रू02,10,000 नियत एवं विशेष भत्ता रू0 11,250 कुल रू0 2,21,250 पर नियुक्ति की जानी है। कुलपति पद पर नियुक्त व्यक्ति योगदान की तिथि से तीन (03) वर्ष अथवा शासन द्वारा निर्धारित अधिवर्षता आयु (अधिकतम 65 वर्ष) जो भी पहले हो, तक के लिए पदधारित करेगा।

कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी व शैक्षणिक अधिकारी होता है, अतः उक्त पद हेतु उसे सर्वोच्च स्तर की सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता और संस्था के प्रति प्रतिबद्धता सम्पन्न व्यक्ति होना चाहिए। उसे विश्वविद्यालय में कम से कम 10 वर्षो के लिये आचार्य के रूप में अनुभव या एक प्रतिष्ठित अनुसंधान या शैक्षणित प्रशासनिक संगठन में शैक्षणिक नेतृत्व के साक्ष्य के साथ 10 वर्षो के अनुभव के साथ एक विशिष्ट शिक्षाविद् होना चाहिए।

उक्तानुसार योग्यता रखने वाले तथा आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अथवा अन्य व्यक्तियों को कमेटी के सम्मुख विचारार्थ नामित किये जाने के इच्छुक आवेदक अपना अथवा नामित व्यक्ति का आवेदन, विस्तृत जीवनवृत्त सहित चार प्रतियों में, संयोजक, चयन समिति (कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय हेतु) को ईमेल– coordinator.kuvc@gmail.com के माध्यम से ऑनलाईन प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन पत्र इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर उक्त ईमेल पर प्राप्त हो जाने आवश्यक हैं।

आवेदन पत्र में, नाम व पते के साथ–साथ, जन्म तिथि/शैक्षिक योग्यता (विश्वविद्यालय के नाम सहित)/शिक्षण कार्य का अनुभव/प्रशासनिक अनुभव/प्रोफेसर के रूप में सेवा अवधि/राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय एवार्ड/प्रकाशन/उल्लेखनीय उपलब्धियां, विशिष्ट रूप से उल्लिखित की जानी आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ स्वस्थता प्रमाण–पत्र व आवेदक के विरूद्ध किसी भी प्रकार की जॉच संस्थित/लम्बित न होने सम्बन्धी शपथ–पत्र प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाना आवश्यक है।

उक्त तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

संयोजक, चयन समिति
(कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय हेतु)
द्वारा राज्यपाल सचिवालय, कैन्ट रोड,
देहरादून– 248003

ADVERTISEMENT

FOR APPOINTMENT OF VICE-CHANCELLOR OF KUMAUN UNIVESITY, NAINITAL (UTTARAKHAND)

It is proposed to appoint Vice-Chancellor (Pay Scale of Rs. 2,10,000 (Fixed) with entitled allowances) for the Kumaun University, Nainital (established under the UP State Universities Act, 1973 (as adopted and modified in Uttarakhand) & University Grant Commission notification dated 18 July, 2018 to comply with the mentioned provisions out of a panel to be recommended by a Committee, constituted in terms of Section 12 (2) of the above-mentioned Act. The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three (03) years from the date on which he/she assumes the charge of his/her office or till the age of superannuation (i.e. 65 years), whichever is earlier.

At the Vice-Chancellor shall be the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she must be a person of highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She should be a distinguished academician, with a minimum of ten years of experience as Professor in a University or ten years of experience in a reputed research and/or academic administrative organisation with proof of having demonstrated academic leadership.

Those, having above mentioned qualifications and interested in applying or nominating other person (s) , for consideration by the Committee, may send their applications/nominations, along with detailed bio-data in four copies, **by email-coordinator.kuvc@gmail.com** to Convener, Selection Committee for Vice-Chancellor (Kumaun University). The application should reach at above email-address within 30 days from the publication of this advertisement.

The application, besides name & address, must contain specific information about date of birth/academic qualification (with name of University/teaching experience/administrative experience/services as Professor/National-International award/publication/noteworthy achievements. The application must contain a medical fitness certificate and affidavit/certificate regarding no enquiry has been setup/pending against the applicant.

Application received after the last date will not be entertained.

Convener, Selection Committee
For Vice-Chancellor (Kumaun Univesity)
C/o Governor's Secretariat, Rajbhawan, Dehraduen
248003 (Uttarakhand)